भारत सरकार
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171 003

Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla-171 003

सत्यमेव जयते

परिपत्र (प्रशासन)

कार्यालय निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकारी-एस0डी0एम0-63, शिमला विधान सभा क्षेत्र, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस0एम0एल0 यू02-1/2022-ईलैक- दिनांक 21.12.2024 द्वारा अवगत किया है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने लोक सभा निर्वाचन-2024 के दौरान पीठासीन अधिकारी/मतगणना अधिकारी, मतदान अधिाकरी/मतगणना सहायक कर्मियों के रूप अपनी सेवाएं दी थी, उनके वेतन एवं भत्तो की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा द्वारा निम्नलिखित दरों पर निर्धारित की जानी है:- (प्रति संलग्न)

1. पीठासीन अधिकारी/मतगणना अधिकारी 400/- प्रतिदिन
2. मतदान अधिकारी/मतगणना सहायक 300/- प्रतिदिन

अत: उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होने लोक सभा निर्वाचन-2024 के दौरान पीठासीन अधिकारी/मतगणना अधिकारी, मतदान अधिाकरी/मतगणना सहायक कर्मियों के रूप में अपनी सेवाएं दी थी वह सभी अधिकारी/कर्मचारी निम्न सूचना (Self Attested) करके निम्नलिखित परफार्मे में भरकर प्रशासन अनुभाग में दिनांक 24.01.2025 तक अवश्य प्रेषित करें:-

क्र0सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम व पदनाम	निर्वाचन कार्य के लिए प्रदत पदनाम	वेतन एवं भत्तों की दर प्रतिदिन	निर्वाचन कार्य की अवधि दिनो में	वेतन एवं भत्तो की कुल राशि जिसकी प्रतिपूर्ति की जानी है	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

पृ0सं0 प्रशासन/ले0प0/विधान सभा चुनाव/ हि0प्र0/2024-25/3794 दिनांक: 21.01.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:

1. सभी सम्बन्धित अधकारी/कर्मचारी (ई-मेल द्वारा) जिन्होने लोक सभा चुनाव-2024 में अपनी सेवाएं दी थी

21/01

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

154/C

अनुस्मारक-1
लोक सभा निर्वाचन-2024/ अति आवश्यक
व्यक्तिगत ध्यानार्थ/ समयबद्ध

मजबूत लोकतन्त्र सबकी भागीदारी
उप मण्लीय निर्वाचन कार्यालय शिमला शहरी

एस.एम.एल.(यू)2-1/2022-ईलैक- दिनांक शिमला 171001 21 दिसम्बर 2024

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।

विषयः **लोक सभा निर्वाचन-2024- के संचालनार्थ प्रतिनियुक्त कार्मिकों को वेतन एवं भत्तों की प्रतिपूर्ति।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र समसंख्या दिनांक 12 दिसम्बर तथा 18 दिसम्बर, 2024 के अनुवर्तन में मुझे यह कहना है कि निर्धारित प्रपत्र पर मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाएं लोक सभा निर्वाचन-2024 के दौरान मतदान/ मतगणना कार्मिकों के रुप में ली गई है, उनके वेतन एवं भत्तों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से निम्नलिखित निर्धारित दरों पर की जानी हैः-

1. **पीठासीन अधिकारी/ मतगणना अधिकारी = 400/- प्रतिदिन**
2. **मतदान अधिकारी/ मतगणना सहायक = 300/- प्रतिदिन**

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग/ कार्यालय के जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों की मतदान एवं मतगणना हेतु नियुक्तियां हुई है के वेतन एवं भत्तों की प्रतिपूर्ति हेतु दावे उपरोक्त दर पर निम्नलिखित प्रपत्र पर तीन परतों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करने की कृपा करें। उपरोक्त दावे में निर्वाचन पूर्वाभ्यास की अवधि की गणना उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार दैनिक भत्तों की गणना की जाती है तथा यह गणना पूरे दिनों में ही होगी। 12 या 12 घण्टे के कम अवधि को गणना में नहीं लिया जाये, यदि निर्वाचन कार्य के लिए उपस्थिति 12 घण्टे के अधिक हो तो एक दिन की गणना की जाए। इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अदायगी मतदान/ मतगणना कार्मिकों के सम्बन्धित संवितरण अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष को दी जाएगी जो कि उक्त राशि की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपने लेखा शीर्ष के अधीन इस राशि को चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा करवायेंगें।

अतः आप से एक बार फिर अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर वांछित सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत करने की कृपा करें, अन्यथा आपके कार्यालय से सूचना शुन्य मानी जाएगी।

प्रपत्र

मतदान/ मतगणना कार्मिकों के लोक सभा निर्वाचन के कार्य के दौरान की अवधि के वेतन एवं भत्तों की प्रतिपूर्ति हेतु दावा

प्रेषक... संवितरण अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष का नाम

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम व पदनाम	निर्वाचन कार्य के लिए प्रदत्त पदनाम	वेतन एवं भत्तों की दर प्रतिदिन	निर्वाचन कार्य की अवधि दिनों में	वेतन एवं भत्तों की कुला राशि जिसकी प्रतिपूर्ति की जानी है	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

भवदीय,

प्रशा० सा० धा० डा० न 610
31/12/24

निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकरी-एस.डी.एम.
63-शिमला विधान सभा क्षेत्र।

पृष्ठांकन संख्याः एस.एम.एल. (यू)2-1/2022-ईलैक **दिनांक 21 दिसम्बर 2024**

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन कार्यालय जिला शिमला को उनके कार्यालय पत्र संख्या एस.एम.एल.2-4/2018-इलैक-5039 दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को सूचनार्थ प्रेषित है।

निर्वाचक रजिस्टीक्रण अधिकरी-एस.डी.एम.
63-शिमला विधान सभा क्षेत्र।

एल.डी. सं० 274
31-12-2024

प्रशासन

AAO/Admn
Urgent Pl.